

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, गुड़गाँव ।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी श्रम तथा समझौता अधिकारी, हरियाणा राज्य ।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांक: आई0आर0-11/8273-397 दिनांक: 21/2/12

विषय: न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा दिनांक 01-01-2012 से बढ़ाव के बारे में पत्र।

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है कि सरकार की अधिसूचना दिनांक 27-6-2007 द्वारा भिन्न-भिन्न रोजगारों में दिनांक 01-07-2007 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त / घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (जनवरी व जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त / घटत होती रहती है ।

अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2011 से दिसम्बर, 2011 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत / बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से है :-

जुलाई, 2011	770 (1663)
अगस्त, 2011	774 (1672)
सितम्बर, 2011	787 (1700)
अक्तूबर, 2011	792 (1711)
नवम्बर, 2011	792 (1711)
दिसम्बर, 2011	783 (1691)
औसत	783 (1691)

जून, 2011 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य सूचकांक 1603 थे । अब मास दिसम्बर 2011 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 1691 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 88 अंकों की बढ़ाव हुई है । हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27-06-2007 जो कि प्रथम जुलाई, 2007 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 2.31 रुपए प्रतिअंक है जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत सभी श्रेणी के श्रमिकों में न्यूनतम वेतनों में दिनांक 01-01-2012 से मासिक रुपए 203.28 और दैनिक रुपए 7.81 की बढ़ाव हुई है । अतः अब दिनांक 01-01-2012 से हरियाणा राज्य में सभी श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरें पूर्व की भांति निम्न प्रभाव से देय बनती है :-

क्रम संख्या	श्रेणी	मासिक वेतन	दैनिक वेतन
1.	अकुशल	रु0 4847.17	रु0 186.42
2.	अर्धकुशल (ए) (बी)	रु0 4977.17 रु0 5107.17	रु0 191.42 रु0 196.42
3.	कुशल (ए) (बी)	रु0 5237.17 रु0 5367.17	रु0 201.42 रु0 206.42
4.	उच्च कुशल	रु0 5497.17	रु0 211.42

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भट्टा उद्योग के रेटस में बढ़ौतरी निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं०	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	276.19 रुपये	310.71 रुपये
2.	भराई वाला(भट्टों में ईटों की भराई)	(क) 124.28 रुपये प्रति हजार ईट भट्टे में भरना परन्तु खेत से भट्टे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 11.04 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी।	
		(ख) एक हजार मीटर दूरी तक 102.19 रुपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईट भट्टों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 11.04 रुपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	22.09 रुपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	91.14 रुपये प्रति एक हजार ईट	
5.	चुनाई वाला	5237.17 रुपये प्रति मास	
6.	मिस्ट्री/कोलमैन/जलाई वाला	5237.17 रुपये प्रति मास	

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

(Handwritten Signature)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक : 8398-8445

दिनांक: 21/2/12

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव वि० आ० एवं प्र० स०, को वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा, श्रम विभाग के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव श्र०आ० को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।
3. इस की एक प्रति भारत सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियों विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।
5. निदेशक, विकास पंचायत, विभाग, प्लॉट नं 3/28-ए हरियाणा चण्डीगढ़।
6. निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा।
7. निदेशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
8. निदेशक, शहरी विकास, हरियाणा, चण्डीगढ़।
9. निदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
10. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. प्रबंधक निदेशक, हरियाणा डेयरी विकास निगम, पंचकुला।
12. प्रबंधक निदेशक, हैफेड, हरियाणा, पंचकुला।
13. आयुक्त, राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
14. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकुला।
15. सभी जिला उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
16. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य), हरियाणा, चण्डीगढ़।
17. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन व मार्ग), हरियाणा, चण्डीगढ़।
18. मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला।
19. मुख्य वनपाल, हरियाणा, पंचकुला।
20. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
21. सचिव, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पंचकुला।
22. सभी अधिकारी, (मुख्यालय)
23. IT (Cell)

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।